ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

प्रसीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व वाद संख्या : 137/2020
CMS NO. : 2020/00312

–: वादीगण :–

1. मनोज कुमार पुत्र दशरथकुमार
2. रेखा पुत्री दशरथकुमार
   जातियानसाद (वैष्णव) निवासी
   खराड़ीतहसील जैतारण।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. दशरथ कुमार पुत्र तुलसीदास
2. चुका देवी पत्नी दशरथकुमार जाति साद (वैष्णव) निवासीगण खराड़ी तहसील जैतारण।
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व वादबाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–04.12.2020

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–दिनॉकः–27/07/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किवादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त शामलाती हिन्दू मुस्तर्का खानदान की एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा संख्या 592 रकबा 17–00 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पति है। जिसकी नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त सम्पति के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सम्पति जो कि वादीगण के दादा तुलसीदार?स के नाम रराजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था उनके फौत होनेक` प्श्चात उनके वारिसान लालदास, दशरथकुमार व ओमप्रकाश के नाम जरिए फौतेदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई और वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज है अर्थात वादग्रस्त सम्पति प्रतिवादीगण संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जो उन्हे उनके पिता से जरिए फौतेदगी म्युटेशन के प्राप्त हुई है। वादग्रस्त सम्पति में वादीगण भी बाई बर्थ हक अधिकार निहित है क्योकि वादीगण स्वर्गीय तुलसीदास से पौत्री होकर उतराधिकारी एवं वारिसान है जो निम्न वंश वृक्षावली से स्पष्ट है। प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं वादीगण स्वयं तुलसीदास के उतराधिकारी है और वादग्रस्त सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त शामलाति 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पति तुलसीदास के फौत होने के पश्चात उनका 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवदीगण संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पति तुलसीदास

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ौत होने के पश्चात उनका 1/3 वे हिस्से में राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हुआ प्रतिवादीगण संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पति जो कि पैतृक पुश्तैनी संयुक्त लाती एवं हिन्दू मुस्तर्का खानदान की सम्पति होने से केवल मात्र उपयोग ोग करने का अधिकार है क्योकि वादीगण का उक्त सम्पति में हिन्दू उतराधिकार ानियम के तहंत बाई बर्थ अर्थात जन्मतः हक व अधिकार है। वादग्रस्त सम्पति कि स्वर्गीय तुलसीदास के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम राजस्व र्ड में इन्द्राज हुई और प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम 1/3 हिस्से के रूप में जस्व रेकर्ड जमाबंदी में जरिए फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज कियि गया परन्तु तेवादीगण संख्या 1 को उक्त सम्पति को किसी अन्य को रहन बैचान बक्शीश व न्य हस्तान्तरण करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नही होते हुए भी तेवादीगण संख्या 1 ने वादग्रस्त सम्पति के 1/3 वें हिस्से को किसी अन्य को चान हस्तान्तरण करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त सम्पति में प्रतिवादीगण ंख्या 1 का ही हक अधिकार नही है क्योक वादग्रस्त सम्पति प्रगतिवादीगण संख्या की स्वअर्जित सम्पति नही होकर के पैतृक पुश्तैनी है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का कानूनन बराबर बराबर हक अधिकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति का केवल उपयोग उपभोग कर सकता है, परन्तु उसे हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार न होते हुए भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादीगण को उनके जायत हक व अधिकारो से वंचित रखने की नियत से यह जानते हुए कि वादग्रस्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बंट्वाड़ा नही हो रखा है परन्तु फिर भी वादीगण की बिना अनुमति व सहमति के एवं परिवार में बिना किसी जायत जरूरत के वादीगण को उनके साम्पैतिक हक अधिकारो से वंचित रखने की नियत से वादग्रस्त सम्पति को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। पूर्व में भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ने पैतृक पुश्तैनी सम्पति का बैचान कर दिया और अब प्रतिवादीगण संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति को भी किसी अन्य को रहन बैचान बक्सीस करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त सम्पति में वादीगण का जन्मतः हक अधिकार होने से वादीगण अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के लिए यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति जो वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जो धारा 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण के जन्म से हक व अधिकार निहित है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 का मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हो जाने मात्र से वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करने की नियत से वादीगण की बिना सहमति व अनुमति के बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है जबकि मौके पर वादीगण का उनके हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है एवं वादग्रस्त सम्पति वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करने एवं जबरन बेदखल करने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि वह वादग्रस्त सम्पति किसी अन्य को बैचान करके उन्हे मौके से बेदखल कर देगा यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ऐसा गैरकानूनी कृत्य करता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादीगण अपने जायज हक अधिकारो से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगे। लिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् णा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। दिनांक 19.10. 20 को प्रतिवादीगण संख्या 1 उपरोक्त वर्णित आराजी में मौके पर जाकर दीगण को मौके से बेदखल करने एवं बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी तब दीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पति पैतृक शतैनी सम्पति है और वादीगण का भी हक अधिकार है तब प्रतिवादीगण संख्या 1 कहा कि उसने पूर्व में भी आधी जमीन को बेचान कर दी तब वादीगण ने जस्व रेकर्ड की नकले ली तब उन्हे जानकारी हुई कि उनके हक अधिकारो की म्पति पूर्व में भी बैचान हो चुकी है और अब प्रतिवादीगण संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति को बैचान करने पर आमादा है और यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने गैरकानूनी मंसुबो में सफल हो जाता है तो वादीगण अपने जायज सम्पति हक अधिकारो से महरूम हो जायेगे एवं उन्हे भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भी किसी कदर संभव नही है इसलिए वादीगण के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से अपने हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने बाबत् यह वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1से 2 को बार बार रूक–रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथपेश किए शामिल मिसल किए गए। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात् का अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादपत्र का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादीगण जो क्रि प्रतिवादी संख्या 01 व 0.2 के क्रमशः पुत्र एवं पुत्री है के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दू विधि से शासित होते है तथा वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त शामलाति हिन्दू मुस्तर्फा खानदान की आराजी है, जो वादीगण के दादा तुलसीदास के नाम रिकॉर्ड में इन्द्राज थी, जिनके फौत होने के पश्चात उनके वारिसान लालदास, दशरथकुमार व ओमप्रकाश के नाम इन्द्राज हुई तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जो प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति नही है। तुलसीदास के तीन संतान लालदास, दशरथकुमार व ओमप्रकाश तथा दशरथकुमार के वादी मनोज[illegible] व रेखा पुत्री तथा प्रतिवादी संख्या 02 चुकादेवी, दशरथकुमार की पत्नी [illegible] वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का [illegible]तः हक व अधिकार है। अतः वादग्रस्त आराजी में 1/3 वे हिस्से की सम्पति [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण को उनके हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादीगण को ज़रिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में गण के हक हिस्से मे दखलन्दाजी नही करे।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी मनोजकुमार का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.1 तुत किया जिसमें वादी द्वारा वादपत्र में अंकित कथनो व तथ्यो का समर्थन या, प्रदर्श–1 वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074 के अनुसार वादग्रस्त राजी में दशरथकुमार पुत्र तुलसीदास बतौर सहखातेदार दर्ज है तथा नामान्तरण ख्या 2202 दिनांक 20.11.2018 द्वारा जरिए बैचान खसरा संख्या 558 रकबा 8–17 बीघा में दशरथ कुमार के स्थान पर हापुराम पुत्र मंगलाराम दर्ज किया या। प्रदर्श–2 ग्राम खराड़ी की नामान्तरण पंजिका जिसकी प्रविष्टि अनुसार खसरा संख्या 558 में बैचान से दशरथ कुमार के स्थान पर क्रेता हापुराम का नाम दर्ज हुआ, प्रदर्श–3 ग्राम खराड़ी की जमाबंदी संवत् 2037 से 2040, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में तुलसीदास वल्द अमरदास वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है, प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत् 2046 से 2049, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में वादग्रस्त आराजी में पतासी देवी पत्नी तुलसीदास, लालदास दशरथकुमार ओमप्रकाश पिसरान् तुलसीदास बतौर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 को वादी के दादा तुलसीदास से विरासतन प्राप्त हुई है जो कि प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नही है।

4. वादी द्वारा वादपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त आराजी वादी के दादा तुलसीदास से वादी के पिता एवं दो अन्य भाईयो को प्राप्त हुई तथा इस नाते वादीगण जो कि तुलसीदास के पौत्र एवं पौत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र एवं पुत्री है, के कारण वादग्रस्त आराजी में जन्मतः अधिकार है चूंकि वादीगण द्वारा पिता के जीवनकाल में पिता को प्राप्त पैतृक आराजी में जन्म से निहित अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है, उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जो तुलसीदास से वादीगण के पिता दशरथ कुमार को पैतृक रूप से प्राप्त हुई जो वर्तमान में प्रतिवादी दशरथकुमार के नाम दर्ज है। दशरथ कुमार के दो संतान वादीगण मनोजकुमार पुत्र एवं रेखा पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पैतृक सम्पति के संबंध में पिता के जीवनकाल में संतान जन्म से निहित अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी होते है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 जो कि सम्पति धारक एवं वादीगण का पिता है तथा दो वादीगण अर्थात कुल 03 इकाईयां हकदार है। अर्थात वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा निहित है। अतः वादपत्र का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी मनोज कुमार पुत्र दशरथ कुमार को 1/3 हिस्सा, रेखा पुत्री दशरथ कुमार को 1/3 हिस्सा एवं शेष 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 01 दशरथ कुमार पुत्र तुलसीदास को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
...., जिला-पाली

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण
त् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 188, राजस्थान काश्तकारी
धिनियम–1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।
म खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित वादग्रस्त
राजी खसरा संख्या 592 रकबा 17–00 बीघा में वादी संख्या 01 मनोज कुमार
र दशरथ कुमार, वादीया रेखा पुत्री दशरथ कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 01 दशरथ
मार पुत्र तुलसीदास सभी जाति साद निवासीगण ग्राम खराड़ी प्रत्येक को एकसमान
/3–1/3 हिस्सा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से
ारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या
एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जैतारण, जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/07/2022 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण
जैतारण, जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
इजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. मनोज कुमार पुत्र दशरथकुमार 2. रेखा पुत्री दशरथकुमार जातियानसाद (वैष्णव) निवासी खराड़ीतहसील जैतारण।		1. दशरथ कुमार पुत्र तुलसीदास 2. चुका देवी पत्नी दशरथकुमार जाति साद (वैष्णव) निवासीगण खराड़ी तहसील जैतारण। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 137/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 592 रकबा 17–00 बीघा में वादी संख्या 01 मनोज कुमार पुत्र दशरथ कुमार, वादीया रेखा पुत्री दशरथ कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 01 दशरथ कुमार पुत्र तुलसीदास सभी जाति साद निवासीगण ग्राम खराड़ी प्रत्येक को एकसमान 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/07/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला पाली

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02 -	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01 -	00			
स्टाम्प वजह सबूत	/				/
महनताना वकील					
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर	02 -	00	फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
			मुत्फरिक		
मिजानः–	05 -	00	मिजानः–	–Nil–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested